ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol-3* Issue-3*April- 2018
Innovation The Research Concept

ग्रामीण आजीविका एवं विकास में सरकारी योजनाओं का मूल्यांकन : भारतीय संदर्भ में

मोहन लाल
सहायक प्राध्यापक,
भूगोल विभाग,
डी.एस.बी. परिसर,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल

मनोज पाल सिंह
शोध छात्र,
भूगोल विभाग,
डी.एस.बी. परिसर,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल

सारांश

गाँव के अधिकांश लोग अपनी आजीविका कृषि से ग्रहण करते हैं। पिछले कुछ दशकों से भारतीय कृषि संकट के दौर से गुजर रही हैं इसलिए कृषि पर निर्भर ग्रामीणों की आजीविका भी संकट में है। सरकार ने स्वतंत्रता के उपरांत प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही कृषि क्षेत्र में सुधार करने की आवश्यकता महसूस की। इसके लिए सिंचाई साधनों का विकास,उन्नतशील बीज, उवर्रकों एवं कीटनाशक रसायनों के प्रयोग पर विशेष ध्यान दिया गया।

वस्तुतः ग्रामीण आजीविका के संकट का विस्तार केवल खेती तक ही सीमित न होकर इससे सम्बद्ध अन्य क्षेत्रों तक हैं जिससे पूरी ग्रामीण अर्थव्यस्था प्रभावित है। सरकार ने समय–समय पर इस दिशा में सुधार के लिए विभिन्न नीतियों एवं योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन किया है। इन योजनाओं में मुख्यतः कृषि से सम्बद्ध योजनाएं–किसान क्रेडिट कार्ड, मृदा–कार्ड, सिंचाई सुविधाओं का विकास, फसल बीमा योजना आदि, खाद्य सुरक्षा से सम्बन्धित योजनाएं–अन्त्योदय अन्न योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन आदि, रोजगार से सम्बन्धित योजनाएं– मनरेगा, ग्रामीण आजीविका मिशन, खादी गाँव परियोजना आदि, कौशल विकास एवं उद्यमिता के प्रोत्साहन हेतु अन्य योजनाएं शुरु की गयी हैं। कुछ योजनाओं में अपेक्षाकृत सफलता मिली है तथा कुछ योजनाओं के परिणाम अपेक्षा के अनुरुप नहीं रहे हैं। इस शोध पत्र में ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका एवं विकास के लिए शुरु की गयी योजनाओं का वर्णन एवं उनके मूल्यांकन का प्रयास किया गया है।

मुख्य शब्द : आजीविका, ग्रामीण विकास, नियोजन, विकास।

प्रस्तावना

भारत ग्राम प्रधान देश है। यहां लगभग दो तिहाई जनसंख्या गांव में निवास करती है। गांव के जीवन की कुछ अपनी खास विशेषताएँ होती हैं। विशेषताओं के पुट आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा नैतिक सभी क्षेत्रों में विद्यमान हैं। गांव में अर्थोपार्जन का मुख्य जरिया खेती है। अधिकांश व्यक्ति अपनी खेती पुराने तरीकों से करते हैं। भारत मानसूनी जलवायु का देश है, यहां वर्षा कुछ निश्चित महीनों में होती है और शेष वर्ष शुष्क रहता है। पिछले कुछ दशकों से जलवायु परिवर्तन के कारण भारत में मौसमी दशाओं का प्रतिकूल प्रभाव भारतीय कृषि पर पड़ रहा है। इसी कारण हर वर्ष खड़ी फसल बर्बाद हो रही हैं। कृषि में बढ़ते जोखिम के कारण ग्रामीण लोग आजीविका के लिए कृषि से हटकर अन्य तरीकों का उपयोग कर रहे हैं। इसमें पशुपालन मत्स्य पालन, कुटीर उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, कुक्कुट पालन तथा अन्य रोजगार संबंधी क्रियाकलाप प्रमुख हैं।

भारत में गाँव की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। पहले की अपेक्षा अब गांव की आत्मनिर्भरता कम हो गई है और परामुखापेक्षा बढ़ गई है। जनसंख्या के इतने बड़े भाग की सामाजिक व आर्थिक समस्याओं का समाधान किए बिना हम कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य को किसी प्रकार भी पूरा नहीं कर सकते। यही कारण है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद से एक ऐसी वृहत योजना की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी जिसके द्वारा ग्रामीण समुदाय में व्याप्त अशिक्षा, निर्धनता, बेरोजगारी, कृषि का पिछड़ापन, गंदगी तथा रूढ़िवादिता जैसी समस्याओं का समाधान किया जा सके। महात्मा गांधी ने ग्रामीण जनसंख्या के सर्वांगीण विकास के विचार को ग्राम स्वराज में समाहित किया है। इसमें मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष–सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक का पुनर्निमाण, आत्मनिभर तथा स्वशासित ग्रामों पर आधारित समाज का सृजन सम्मिलित है।

पिछले कुछ दशकों से भारत में ग्रामीण आजीविका के सामने संकट उत्पन्न हो गया है ओर ग्रामीण लोग आजीविका की तलाश में शहरों की ओर पलायन करने लगे हैं। सरकार इस पलायन को रोकने का प्रयास कर रही है और ग्राम स्तर पर अजीविका के नये संसाधनों को विकसित कर रही है ताकि ग्रामीण जनसंख्या की आजीविका को सुनिश्चित करके ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। आजीविका की आत्मनिर्भरता ही ग्रामीण विकास की आधारशिला है। इसके बाद ही ग्रामीण भारत का विकास सुनिश्चित किया जा सकता है। सरकार द्वारा ग्रामीण विकास तथा आजीविका को सुनिश्चित करने के लिए समय–समय पर विभिन्न योजनाओं का निर्माण किया गया है। इसमें कई योजनाओं के सकारात्मक परिणाम सामने आये हैं। इन योजनओं ने ग्रामीण अजीविका को सतत बनाने तथा ग्रामीण विकास को गति देने का काम वखूबी किया है। भारत में विभिन्न प्रकार की योजनाएँ भारत सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं का मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि मूल्यांकन के द्वारा ही योजनाओं की सफलता व असफलता को ज्ञात किया जा सकता है।

अध्ययन का उद्देश्य

इस शोधपत्र का उद्देश्य यह है कि भारत सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा ग्रामीण आजीविका तथा विकास के लिए संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन किस प्रकार किया गया। इन योजनाओं का उद्देश्य पूरा हुआ या नहीं हुआ। योजनाओं को किस स्तर पर लागू किया गया और लोगों ने उसमें कितना सहयोग दिया। इनसे जनकल्याण, रहन–सहन, जागरूकता, सहभागिता आदि क्षेत्रों में कितना सुधार हुआ। योजनाओं के क्रियान्वयन में कई प्रकार की बाधाएँ सामने आती हैं। योजना निर्माण से क्रियान्वयन तक आने वाली बाधाओं को ज्ञात करना भी इसका उद्देश्य है।

बहुस्तरीय नियोजन एवं समन्वित ग्रामीण विकास

नियोजन किसी देश के संसाधनों के बेहतर उपयोग द्वारा आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। यह विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति का सचेतन, सतत व संगठित प्रयास है। नियोजन की प्रक्रिया एक स्तरीय या बहुस्तरीय हो सकती है। एक स्तरीय नियोजन में सभी निर्णय शीर्ष स्तर लिए जाते हैं जबकि बहुस्तरीय नियोजन में देश को कई स्तर की इकाइयों में बांटकर नियोजन की नीतियों का निर्माण किया जाता है। भारत जैसे विशाल देश में बहुस्तरीय नियोजन की आवश्यकता के निम्नलिखित कारण हैं।

1. भारत एक लोकतांत्रिक व संघीय प्रणाली का देश है।
2. भारतीय समाज बहुभाषी, बहुधर्मी और बहुसांस्कृतिक है।
3. एक स्तरीय नियोजन से क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि होती है और निचले स्तर की समस्याओं की अनदेखी होती है।
4. बहुस्तरीय नियोजन देश में गरीबी की समस्या के समाधान का एक साधन हो सकता है।
5. मानव की मूल आवश्यकताओं और स्थानीय संसाधनों के उपयोग आदि से संबंधी समस्याओं को केवल निचले स्तर के नियोजन से ही सुलझाया जा सकता है।

योजना आयोग द्वारा भारत में नियोजन के पांच स्तरों को स्वीकार किया गया है–

राष्ट्रीय स्तर – केन्द्र सरकार
राज्य स्तर – राज्य सरकार
जिला स्तर – जिला परिषद
विकास खण्ड स्तर – क्षेत्रीय पंचायत
ग्राम स्तर – ग्राम पंचायत

1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायत (ग्राम सभा) को सामाजिक न्याय व आर्थिक विकास के 29 विषयों पर योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु अधिकृत किया गया। इन योजनाओं के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी ग्राम विकास अधिकारी एवं सेक्रेटरी की होती है तथा इनकी देख–रेख ग्राम सभा द्वारा की जाती है जिसका मुखिया ग्राम प्रधान होता है। इसमें मनरेगा, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना आदि के लिए केन्द्र सरकार से सीधे धन का आवंटन होता है इस समय भारत में 2 लाख 41 हजार ग्राम पंचायतें, 6,312 पंचायत समीतियाँ और 584 जिला परिषदें गठित हैं। इन पंचायतों को कृषि, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण उद्योग, गरीबी निवारण, स्वच्छता और मातृ एवं शिशु कल्याण आदि से संबंधित कार्यक्रमों की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

भारत में स्वतंत्रता के बाद से ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण हेतु संगठित प्रयास किए गये हैं। गांधी जी की इच्छा गांव का पूर्ण रूपान्तरण कर उन्हें एक व्यवहार्य इकाई में विकासित करने की थी। समन्वित ग्रामीण विकास एक विस्तृत संकल्पना है यह न तो केवल कृषि विकास है और न केवल ग्रामीण कल्याण। यह मुख्यतः भौगोलिक या क्षेत्रीय संकल्पना है जिसमें विभिन्न स्तरों को शामिल किया जाता है। समन्वित ग्रामीण विकास एक बहुपक्षीय व बहुगत्यात्मक संकल्पना है जिसमें बहुस्तरीय, बहुवर्गीय व बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों का समन्वय किया जाता है। इसमें 6 प्रमुख तत्व होते हैं।

1. श्रम प्रधान कृषि
2. रोजगार उत्पादक विकास कार्य
3. छोटे पैमाने के श्रम आधारित उद्योग
4. संस्थागत व संगठनात्मक व्यवस्था
5. स्थानीय आत्मनिर्भरता
6. विकास केन्द्रों का समुचित पदानुक्रम

समन्वित ग्रामीण विकास में लक्ष्य समूह तथा विकास सांतत्य उपागामों का उपयोग किया जाता है। यह निम्नालिखित मान्यताओं पर आधारित है।

1. कृषि विकास ही ग्रामीण विकास का आधार है।
2. कृषि विकास के लिए आवश्यक है कि द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्रों का भी समुचित विकास हो।
3. ग्रामीण कस्बों से ग्रामीण विकास को प्रोत्साहन मिलता है।
4. ग्रामीण विकास योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन में स्थानीय लोगों की भागीदारी आवश्यक है।
5. ग्रामीण विकास का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन एवं अधिक से अधिक रोजगार उत्पन्न करना है।

6. स्थानीय संसाधनों का इष्टतम उपयोग करना चाहिए।
7. स्थानीय समस्यओं का अध्ययन करके उसके अनुरूप ही योजना का निर्माण करना चाहिए।

योजनाए

ग्रामीण विकास तथा आजीविका को सतत बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनओं का संचालन भारत सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न स्तरों पर किया जा रहा है। इन योजनाओं को हम निम्न वर्गो में बांट सकते हैं।

1. कृषि क्षेत्र
2. खाद्य सुरक्षा
3. रोजगार
4. कौशल विकास एवं उद्यमिता
5. अन्य योजनाएँ

कृषि क्षेत्र

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

पुरानी कृषि बीमा योजनाओं को संशोधित करके 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फलस बीमा योजना की घोषणा हुई। इस योजना द्वारा फसलों में प्राकृतिक आपदा तथा अन्य कारणों से क्षति की भरपाई बीमा द्वारा बहुत कम प्रीमियम पर करने का प्रावधान किया गया है।

फसल	प्रीमियम राशि
खरीफ	2.0 प्रतिशत
रबी	1.5 प्रतिशत
वार्षिक वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलें	5.0 प्रतिशत

फसल कवरेज

(अ) खाद्यान्न फसलें (अनाज, मोटे अनाज व दालें)
(ब) तिलहन
(स) वार्षिक वाणिज्यिक व बागवानी फसलें

लगभग आधी जनसंख्या की आजीविका के प्रमुख स्रोत कृषि में जोखिम एवं अनिश्चितता के दृष्टिकोण, किसानों के संरक्षण तथा उन्हें कृषि कार्य में बनाए रखने हेतु संकल्पित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अनेक मायनों में अपने पूर्ववर्ती फसल बीमा योजनाओं से श्रेष्ठ है। जहां एक ओर यह योजना कृषि में नव प्रवर्तन तथा तकनीकी के समावेश की दृष्टि रखती है। वहीं दूसरी ओर इस योजना में जोखिम को विस्तारित किया गया है। इसके अतिरिक्त जोखिम के आकलन प्रविधि में भी सुधार किया गया है। जिससे कि किसानों का हित अधिकतम हो सके। समग्रता से देखने पर यह योजना हर नजरिए से किसान हितैषी नजर आती है परन्तु क्रियान्वयन की कसौटी पर इसे खरा उतरना अभी शेष है।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

कृषि की मानसून पर निर्भरता कम करने और हर खेत तक सिंचाई सुविधा पहुँचाने के उद्देश्य से एक जुलाई 2015 को ''प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना'' को स्वीकृति प्रदान की गई। भारतीय जलवायु विविधतापूर्ण कृषि के अनुकूल है। यहाँ यदि बेहतर सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो तो कृषि की उत्पादकता में वृद्धि करके भारतीय किसानों को खुशहाल बनाया जा सकता है। भारत में सिंचाई का स्तर असंतोषजनक है। भारत में निवल बुआई क्षेत्र लगभग 141 मिलियन हेक्टेयर हैं जिसमें से मात्र 45 प्रतिशत क्षेत्र (65 मिलियन हेक्टेयर) में ही सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। ऐसे परिदृश्य मे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जिसमें हर खेत को पानी तथा जल के अनुकूलतम उपयोग (प्रति बूंद अधिक फसल) की संकल्पना बनाई गई है एक सराहनीय प्रयास है। यदि यह योजना अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाने मे सफल होती है, तो यह भारतीय कृषि को निश्चित रूप से एक नई ऊँचाई पर स्थापित करेगी। इससे कृषि को घाटे के व्यवसाय से निकालकर एक लाभदायक गतिविधि बनाया जा सकेगा।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना

पिछले कुछ समय से मृदा संवर्धन की मांग काफी प्रखरता से उठाई जा रही हैं स्वस्थ मृदा जहां उत्पादन तथा उत्पादकता को बढ़ाती है वहीं यह पोषण तथा पर्यावरण की दृष्टि से भी अनुकूल है। इसी संदर्भ में पूरे देश में खेत की मिट्टी की सेहत की जांच हेतु 19 फरवरी 2015 को ''मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना'' का शुभारंभ किया गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 'स्वस्थ धरा, खेत हरा' का नारा दिया। इसका लक्ष्य तीन वर्षो में 253 लाख मृदा सेंपल लेकर 14 करोड़ ''मृदा स्वास्थ्य कार्ड'' वितरित करना था।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना वर्षो से चली आ रही मांग के अनुरूप है। अवैज्ञानिक रूप से रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग ने मृदा की संरचना में असंतुलन पैदा कर दिया है। इससे पोषण स्तर पर भी दुष्प्रभाव देखे जा रहे हैं। इस योजना के दो फायदे हैं। एक तो इससे उपज की गुणवत्ता बढ़ेगी जो पोषण को बढ़ाएगी। दूसरे इससे किसानों की निवेश लागत में भी कमी आएगी। इस तरह यह योजना धारणीय विकास के दर्शन के भी अनुकूल है।

किसान क्रेडिट कार्ड योजना

1998–99 के बजट में ''किसान क्रेडिट कार्ड'' नामक महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा आर.वी. गुप्ता कमेटी की अनुशंसा पर की गई। इस योजना का उद्देश्य किसानों को कृषि आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संस्थागत स्रोतों से पर्याप्त मात्रा में साख की उपलब्धता को सुनिश्चित करना था।

1. के0सी0सी0 योजना का क्रियान्वयन वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा सहकारी बैंक के माध्यम से किया जाता है।
2. योजना में किसानों की साख सीमा के निर्धारण हेतु एक पारदर्शी व वैज्ञानिक प्रक्रिया अपनाई जाती है।
3. किसानों की भू–धारकता, फसलों की अधिकतम लागत तथा किसानों की उपभोग आवश्यकता के आधार पर साख सीमा का निर्धारण किया जाता है।
4. किसानों को केवल उसी ऋण पर ब्याज देना होता है जो वे निकालते हैं न कि पूरे ऋण पर।
5. 3 लाख रूपये तक के ऋण पर केवल 7 प्रतिशत ब्याज देना होता है तथा पुनर्भुगतान पर 3 प्रतिशत की ब्याज सहायता भी मिलती है। अतः प्रभावी ब्याज दर 7 – 3 = 4 प्रतिशत ही देना होता है।

के0सी0सी0 योजना अपने पूर्ववर्ती ऋण योजनाओं से इस अर्थ में श्रेष्ठ है कि इसमें कृषि वित्त के

संस्थागत एवं गैर संस्थागत दोनों स्रोतों के गुणों का समावेश है। इस योजना द्वारा जहां एक ओर किसानों पर ब्याज का भार कम पड़ता है तो वहीं दूसरी ओर नकद रूप में मिला वित्त उनके समक्ष विकल्पों को भी बढ़ा देता है। अतः यह कृषि साख के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योजना है। इसकी वांछित सफलता हेतु अन्य सहयोगी कदमों को उठाने की आवश्यकता है।

परंपरागत कृषि विकास योजना

किसानों को जैविक कृषि हेतु प्रोत्साहित करने और किसानों को रसायन मुक्त आदान उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2015–16 में रु0 300 करोड़ के परिव्यय के साथ ''परम्परागत कृषि विकास योजना'' लागू की गई। यह क्लस्टर आधारित योजना है। इसके तहत किसानों के समूह को जैविक खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

आज भारतीय कृषि के समक्ष रासायनिक प्रदूषण एक प्रमुख समस्या है। किसानों द्वारा अवैज्ञानिक तरीकों से अंधाधुंध रसायनों का प्रयोग न केवल मानव एवं पशुओं के स्वास्थ्य को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहा है अपितु फसल पैदावार पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है परंपरागत तरीकों से की गई कृषि मृदा स्वास्थ्य एवं मानव स्वास्थ्य में सुधार तथा फसल की गुणवत्ता एवं पैदावार दोनों की दृष्टि से श्रेष्ठ है। परन्तु चुनौती इस विषय में जागरूकता फैलाने की है क्योंकि आज के किसान वर्तमान अवैज्ञानिक कृषि पद्धति को ही परंपरागत कृषि मान बैठे नजर आते हैं। जागरूकता के अतिरिक्त कृषि आदानों की सुलभता एवं वहनीयता को भी सुनिश्चित करना होगा।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का निर्माण वर्ष 2007–08 में किया गया। इसका उद्देश्य कृषि एवं संबंद्ध क्षेत्र के समग्र विकास को सुनिश्चित करते हुए 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 4 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर को प्राप्त करने तथा बनाए रखने का लक्ष्य प्राप्त करना था।

खाद्य सुरक्षा

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013

सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों से प्रेरित होकर सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 निर्मित किया गया जो देश की लगभग दो तिहाई आबादी को भोजन का कानूनी अधिकार प्रदान करता है। देश को भूख तथा कुपोषण से निजात दिलाने के लिए सरकार ने खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करके एक बड़ी जवाबदेही अपने हाथों में ले ली है। यह कानून देश की लगभग 67 प्रतिशत जनसंख्या को किफायती दर पर गेहूँ, चावल व मोटे अनाज का प्रावधान करता है।

अन्त्योदय अन्न योजना

अन्त्योदय अन्य योजना की शुरूआत 25 दिसंबर 2000 को एक करोड़ अतिनिर्धन परिवारों को रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई। अन्त्योदय परिवारों की पहचान कर विशिष्ट कार्ड जारी करने का काम संबंधित राज्य सरकारें करती हैं। इसमें प्रति परिवार प्रति माह 25 किलोग्राम खाद्यान्न का आवंटन किया जाता था जो एक अप्रैल 2002 से प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम कर दिया गया है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अक्टूबर 2007 में प्रारम्भ किया गया। खाद्य उत्पादन संवर्धन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा प्रयोजित इस कार्यक्रम को संशोधित लक्ष्यों के साथ 12वीं पंचवर्षीय योजना में भी चालू रखा गया।

उद्देश्य

1. राष्ट्र में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु गेहूँ, चावल व दालों के उत्पादन को बढ़ाना।
2. देश के चिन्हित जिलों में कृषि भूमि विस्तार और उत्पादकता संवर्धन के माध्यम से धारणीय विधि से चावल, गेहूँ, दाल व मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ाना।
3. किसानों के आत्मविश्वास में वृद्धि हेतु खेत स्तर पर लाभ को बढ़ाना।

इस मिशन के घटकों में अब वाणिज्यिक फसलों को भी जोड़ दिया गया है। इस मिशन में वर्ष 2017 तक खाद्यान्न उत्पादन में 25 मिलियन टन की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। यह मिशन खाद्य सुरक्षा के साथ–साथ किसानों को आर्थिक रूप से भी सशक्त बनाएगा।

रोजगार

मनरेगा

राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (नरेगा) का सुभारंभ 2 फरवरी 2006 को देश के 200 चुनिंदा जिलों में किया गया। एक अप्रैल 2008 से इसका विस्तार जम्मू एवं कश्मीर को छोड़कर देश के सभी जिलों में कर दिया गया। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम परिवर्तित करके ''महात्मा गाधीं राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना'' (मनरेगा) कर दिया गया।

लक्ष्य

प्रत्येक परिवार के एक वयस्क सदस्य को न्यूनतम 100 दिन का अकुशल रोजगार उपलब्ध कराना।

उद्देश्य

1. सवैतनिक रोजगार उपलब्ध करना।
2. प्राकृतिक संसाधनों के पुनर्निर्माण द्वारा धारणीय ग्रामीण आजीविका का निर्माण एवं परिसम्पत्ति का सृजन
3. विकेंद्रीकरण, पारदर्शिता तथा जवाबदेहिता के द्वारा ग्रामीण स्वशासन को सुदृढ़ करना।

योजना के तहत पंजीकृत परिवार को जॉब कार्ड जारी किया जाता है। प्रत्येक जॉब कार्ड पर विशिष्ट पहचान संख्या अंकित होती है। कार्य की मांग किए जाने की तारीख से 15 दिन के भीतर रोजगार प्रदान न किए जाने की स्थिति में राज्य (अधिनियम के अनुसार) उस लाभार्थी को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान करेगी। इस योजना में कम से कम एक तिहाई लाभार्थी महिलाएं हों। भारत सरकार इसकी मजदूरी दर राज्यवार अधिसूचित करती है। अधिनियम के अनुसार सभी कार्य स्थलों पर शिशु गृह, पेयजल तथा शेड जैसी कार्यस्थल सुविधाओं का भी प्रावधान है। वर्ष 2017–18 के लिए मनरेगा हेतु 48000 करोड़ रूपये आवंटित किए गये जो किसी भी अन्य योजना के आवंटन से अधिक है। वर्ष 2015–16 के

दौरान सभी श्रमिकों में 57 प्रतिशत महिलाएँ थी जो कि वैधानिक आवश्यकता 33 प्रतिशत से अधिक हैं। मनरेगा को लागू करने वाली एजेंसियों एवं लाभार्थियों को समय पर एवं पारदर्शी ढंग से भुगतान करने हेतु ''इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम'' शुरू किया गया है। मनरेगा के तहत दिए गए काम में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों की भागीदारी क्रमशः 20 प्रतिशत एवं 17 प्रतिशत रही। अब तक समस्त कार्यो में से लगभग 65 प्रतिशत कृषि एवं संवद्ध क्षेत्रों में हुआ है।

अब तक हुई समीक्षाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि मनरेगा अपने लक्ष्यों में काफी हद तक सफल रहा है। मनरेगा ने ग्रामीण आधारभूत संरचना के विकास के साथ–साथ महिलाओं के आर्थिक रूप से सशक्तिकरण तथा अनुसूचित जाति एवं जनजातियों को आत्मनिर्भर बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह सर्वाधिक कमजोर व अत्यधिक उपेक्षित लोगों तक पहुँचने में भी सक्षम रहा है। मनरेगा के माध्यम से ग्रामीण–नगरीय स्थानांतरण में भी कमी आई है। मनरेगा ने ग्रामीण गरीबों को ऋणग्रस्तता और बंधुआ मजदूरी से भी मुक्ति दिलाई है। अतः अब आवश्यकता इस बात की है कि इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अन्य समस्याओं को दूर करके इसे अधिक पारदर्शी एवं प्रभावशाली बनाया जाए।

दीन दयाल अन्त्योदय योजना– राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की आय बढ़ाने के लिए वर्ष 1999 में स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना लागू की गई। कालांतर में इसे और व्यावहारिक बनाते हुए इसको राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में 3 जून 2011 को पुनर्गठित किया गया। नवंबर 2015 में इस योजना का नया नामकरण दीन दयाल अन्त्योदय योजना– राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन किया गया। वर्ष 2017–18 हेतु इस योजना के लिए 4500 करोड़ रूपये आवंटित किए गये हैं।

उद्देश्य

गरीबी को कम करने हेतु गरीब परिवारों को लाभकारी स्वरोजगार तथा कुशल मजदूरी रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना जिससे उनकी आजीविका में सतत सुधार हो।

ग्रामीण विकास रणनीति में स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहन को प्रमुख स्थान प्राप्त है। ग्रामीण विकास हेतु इस रणनीति को पहले भी अपनाया जाता रहा है परन्तु जागरूकता, प्रशिक्षण, संगठन, पूंजी आदि के अभाव के कारण यह राणनीति पूर्णतः सफल नहीं हो सकी। इन्हीं कमियों पर ध्यान देते हुए दीन दयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को प्रारंभ किया गया। अपने पूर्ववर्ती योजनाओं से इतर इस योजना में ''स्वयं सहायता समूहों'' के माध्यम से ग्रामीण उत्थान की रणनीति अपनाई गई है।

इसके अतिरिक्त कौशल प्रशिक्षण तथा संगठित प्रयास इसे और भी विशेष बना देते हैं। समग्र रूप से कहा जा सकता है कि यदि इस योजना का क्रियान्वयन बेहतर ढंग से हुआ तो यह ग्रामीण कायापलट में महत्वूपर्ण योगदान दे सकती है।

खादी गाँव परियोजना

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ाने, ग्रामीण गरीबी को कम करने और गांव से शहरों की तरफ बढ़ रहे पलायन को रोकने के उद्देश्य से ''खादी और ग्रामोद्योग'' आयोग द्वारा ''खादी गाँव परियोजना'' शुरू की गई। प्रत्येक राज्य से पांच पांच गांव का चयन कर उन्हें एक वर्ष में खादी गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। गांवों में विक्रय केन्द्र की स्थापना भी की जाएगी। इसके अतिरिक्त कौशल विकास संवर्धन, ग्रामीण नगरीय पलायन, धारणीयता के साथ विकास आदि की दृष्टि से भी यह परियोजना एक मील का पत्थर साबित होगी।

कौशल विकास एवं उद्यमिता

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

भारत में 60 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या कार्यशील आयु समूह (15 से 59 वर्ष) में आती है तथा आधी जनसंख्या 25 वर्ष से कम आयु की है। यह आंकड़े भारत को जनसंख्या लाभांश की स्थिति में दर्शाते हैं। इसी जनसंख्या लाभांश का फायदा उठाने के लिए केन्द्रीय मंत्रिमण्डल द्वारा 1500 करोड़ रूपये की लागत वाली ''प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना'' को 20 मार्च, 2015 को मंजूरी प्रदान की गई तथा इसे 15 जुलाई 2015 को प्रारम्भ किया गया।

लक्ष्य

आगामी चार वर्षो में (2016–20) देश के एक करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करना।

इस प्रकार युवाओं को प्रशिक्षण द्वारा रोजगार तथा अन्य क्रिया कलापों में संलग्न करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें।

स्टार्ट–अप एवं स्टैंड–अप इंडिया

देश के युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहन तथा नव उद्यमों की स्थापना के माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु 15 अगस्त 2015 को स्टार्ट–अप इंडिया की घोषणा की गई तथा 16 जनवरी 2016 को इसे शुरू किया गया।

देश में उद्यमिता को बढ़ावा देने तथा रोजगार सृजन के उद्देश्य से 15 अगस्त 2015 को स्टैंड–अप इंडिया की घोषणा हुई। 5 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री द्वारा नोयडा (उ0प्र0) से इस योजना की शुरूआत की गई। इसके द्वारा नए उद्योगों को बैंकों से वित्त पोषण और दूसरे प्रोत्सहनों की पेशकश की जाएगी। इसकी प्रक्रिया का संचालन भारतीय लघु उद्योग बैंक (सिडबी) करेगा। सिडबी तथा नाबार्ड के कार्यालय स्टैंड–अप कनेक्ट केन्द्रों के रूप निर्धारित किए गये हैं।

उम्मीद है कि स्टैंड–अप इंडिया योजना के माध्यम से भारतीय युवा विशेषकर अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा महिला उद्यमियों को स्वयं का उद्यम स्थापित करने के मार्ग में आने वाली बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। भारत का युवा 'जॉब सीकर' की बजाए 'जॉब क्रिएटर' बनकर एक स्वावलंबी भारत का निर्माण करेगा। यह योजना आर्थिक विकास के साथ–साथ सामाजिक विकास की ओर भी उन्मुख है जो भारत को विश्व में एक शक्तिशाली अर्थव्यवस्था तथा विकसित देश की श्रेणी में खड़ा करेगा।

अन्य योजना

रोशनी योजना

7 जून 2013 को 24 नक्सल प्रभावित जिलों में कौशल उन्नयन एवं रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से कौशल विकास योजना ''रोशनी'' की शुरूआत की गई। इसका लक्ष्य 3 वर्षो में 50,000 युवाओं को कौशाल विकास प्रदान करना था।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

इसका शुभांरभ 23 मार्च, 2016 को किया गया। इसका लक्ष्य 2022 तक सभी के लिए आवास प्रदान करने का रखा गया है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

इसका शुभांरभ 8 अप्रैल, 2015 को किया गया। इसका उद्देश्य सूक्ष्म उद्यम क्षेत्र की समृद्धि हेतु आवश्यक परिवेश के निर्माण के माध्यम से समावेशी व टिकाऊ विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना।

लोहिया ग्राम विकास योजना

उ0प्र0 सरकार की इस योजना द्वारा चयनित ग्रामों में आधारभूत संरचना का विकास तथा वहां के पात्र लोगों को निःशुल्क लोहिया आवास देना तथा अन्य संरचनात्मक कार्य किए जाएगें।

दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए श्वेत क्रांति तथा मत्स्य पालन व्यवसाय के प्रोत्साहन के लिए नीली क्रांाति आदि भी ऐसे सरकारी प्रयास है जिसके द्वारा ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा मिला है।

स्वच्छ भारत मिशन ने भी अप्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित किया है।

उ0प्र0 सरकार की मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के द्वारा कृषकों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया गया है।

भारत निर्माण योजना के द्वारा भी ग्रामीण विकास के विभिन्न क्षेत्रों में सुधार किया गया।

निष्कर्ष

भारत में स्वतंत्रता के समय अधिकांश जनसंख्या गांव में निवास करती थी। इसमें गरीबी, अशिक्षा, मुखमरी, कुपोषण तथा बेरोजगार आदि प्रमुख समस्याएँ थीं। ग्रामीण जनसंख्या के सामने आजीविका का संकट था। गांव की स्थिति बहुत पिछड़ी हुई थी। भारतीय संविधान भारत को एक कल्याणकारी राज्य घोषित करता है। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए समय–समय पर विभिन्न योजनाओं का निर्माण किया गया और इन योजनाओं के माध्यम से आजीविका सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया। गांव में अधिकांश लोगों की आजीविका कृषि से चलती है। पिछले कुछ दशकों से कृषि घाटे का सौदा साबित हो रही है। इस कारण लोग कृषि से विमुख होकर शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। कृषि संकट को कम करने के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए गये, जिनके माध्यम से सरकार कृषि संकट का समाधान करना चाहती है। ग्रामीणों की आजीविका को सतत् बनाए रखने व गरीबी निवारण के लिए सरकार ने अपनी योजनाओं के माध्यम महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। गांव के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने तथा आत्मविश्वास बढ़ाने का काम सरकारी योजनाएं कर रही हैं।

भारत में ग्रामीण विकास के लिए आवश्यक है कि कृषि दशाओं में सुधार किया जाए। सामाजिक व आर्थिक संरचना को बदला जाए। वास्तविकता यह रही है कि योजनाओं से आर्थिक व सामाजिक स्तर पर सबसे पिछड़े परिवारों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाया है और अधिकतर सम्पन्न व्यक्ति ही लाभान्वित हुए हैं। योजनाओं को बनाने व क्रियान्वयन में जनता का सहयोग नहीं लिया गया, इस कारण विभिन्न योजनाओं की जानकारी लोगों को प्राप्त नहीं हुई। अतः योजनाओं के लक्ष्य तथा उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इनके निर्माण व क्रियान्वयन में सुधार की आवश्यकता है। योजनाओं को यदि सही से लागू किया गया तो भविष्य में गांव के लोग अधिक आत्मनिर्भर तथा विकसित होकर जिम्मेदार नागरिक बन सकें।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (भारत सरकार) :– भारत 2017 वार्षिकी।*
2. *प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (भारत सरकार) 2018:– योजना पत्रिका मार्च*
3. *ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार 2014: ग्राम विकास कार्यक्रमों की एक झलक*
4. *ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, 2016:– कुरूक्षेत्र पत्रिका मार्च।*
5. *ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, 2016:– कुरूक्षेत्र पत्रिका अप्रैल*
6. *ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, 2016:– कुरूक्षेत्र पत्रिका जून।*
7. *ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, 2016:– कुरूक्षेत्र पत्रिका अगस्त*
8. *ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, 2018:– कुरूक्षेत्र पत्रिका अप्रैल*
9. *तिवारी, आर0सी0 2017:– 'भारत का भूगोल', प्रवालिका पब्लिकेशन्स इलाहाबाद।*
10. *गौतम, अलका, 2008: ''भारत का भूगोल'' शारदा पुस्तक भवन, इलाहाबाद*
11. *मिस्रा, एस0के0 व पुरी, वी0के0, 2012:– ''भारतीय अर्थव्यवस्था'' हिमालया पब्लिशिंग हाउस, मुम्बई।*
12. *हुसैन, माजिद, 2003:– ''मानव भूगोल'' रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर एवं नई दिल्ली।*
13. *स्कूंस, इयान, 2009:– ''लाइवलीहुड परसपेक्टिव एन्ड रूरल डैवलपमेंट'' (शोध पत्र) द जनरल ऑफ पीजेन्ट स्टडीज*
14. *भारत का संविधानः– ईस्टर्न बुक कम्पनी, लखनऊ*
15. *विकीपीडियाः रूरल डैवलपमेंट*